## <u>न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म0प्र0)</u>

प्रकरण कमांक 235 / 08 संस्थित दिनांक 03.04.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

....अभियोजन

/ / विरुद्ध / /

गुड्डु उर्फ करिया पिता गुलचरण, उम्र—28 साल, जाति गढ़ेवाल, निवासी ग्राम सीताडोंगरी थाना बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

..आरोपी

## ::<mark>निर्ण यः:</mark> { दिनांक **21 / 07 / 2017** को घोषित}

- 1. आरोपी के विरूद्ध धारा—279, 337, 338 एवं 304ए भा.द.वि. एवं मोण्हीं एक्ट की धारा—3/181 के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 06.03.2009 को समय 11:15 बजे ग्राम सीताडोंगरी आरक्षी केन्द्र, बैहर के अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी.28ई./0301 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ढंग व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को लापरवाही से बिना हाथ दिये मोड़ देने से मोटर सायकिल को टक्कर मारकर चन्द्रकला को साधारण उपहित किया तथा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर आहत देवेन्द्र की अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित किया तथा आहत देवेन्द्र की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है तथा घटना दिनांक समय व स्थान पर वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा उक्त वाहन से संबंधित दस्तावेज पंजीयन प्रमाण पत्र, झ्रायविंग लायसेंस तथा बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रेमलाल वासनिक इायवर सी0एच0सी0 परसवाड़ा ने थाना परसवाड़ा में दिनांक 06.03.2008 को 0/08 धारा-171 जा.फौ. की मर्ग इंटीमेशन लेख कराया था कि अस्पताल में एक्सीडेंट से घायल होकर तीन व्यक्ति आये थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो घायल है। तत्पश्चात् थाना परसवाड़ा में मर्ग कायम कर

असल नंबरी हेतु थाना बैहर भेजा गया था। थाना बैहर में असल मर्ग क्रमांक 06/08 धारा—174 जा.फौ. कायम कर जांच कर असल अपराध क्रमांक 26/08 धारा—279, 337, 304ए भा.दं.सं. कायम किया गया। विवेचना दौरान देक्टर क्रमांक एम.पी.28ई.0301 के चालक गुड्डा उर्फ करिया उर्फ गिरमा गढ़ेवाल द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत—मुचलके पर रिहा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
  - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 06.03.2009 को समय 11:15 बजे ग्राम सीताडोंगरी आरक्षी केन्द्र, बैहर के अंतर्गत वाहन द्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 28ई. / 0301 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ढंग व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाही से बिना हाथ दिये मोड़ देने से मोटर सायकिल को टक्कर मारकर चन्द्रकला को साधारण उपहति किया ?
  - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर आहत देवेन्द्र की अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
  - (4) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर आहत देवेन्द्र की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?
  - (5) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा

मांगे जाने पर उक्त वाहन से संबंधित दस्तावेज पंजीयन प्रमाण पत्र, इायविंग लायसेंस तथा बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया ?

## ःसकारण निष्कर्षः विचारणीय प्रश्न कमांक 01, 02, 03, 04 एवं 05

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- घटना की आहत साक्षी चन्द्रकला अ०सा०-1 का कथन है कि 5. वह आरोपी को जानती है। घटना दिनांक 06 मार्च 2008 के सुबह करीब 10:30 बजे की है। घटना दिनांक को वह उसके मामा देवेन्द्र, सेवेन्द्र चौधरी के साथ मोटरसाईकिल से आ रही थी, तभी रास्ते में झांगुल रोड में टेक्टर से उनका एक्सीडेण्ट हो गया था। उसके बड़े मामा देवेन्द्र चौधरी की घटनास्थल पर ही मृत्यू हो गयी थी और छोटे मामा सेवेन्द्र को हाथ व पैर पर चोटें आयी थी, उनके पैर की हड्डी टूट गयी थी। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आयी थी और परसवाड़ा अस्पताल ले गये थे। ट्रेक्टर का चालक गाड़ी किस तरह से चला रहा था, उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन है कि वह मोटर सायकिल में पीछे बैठी थी, जिस कारण उसका ध्यान सामने नहीं था। सामान्यतः द्वेक्टर धीरे ही चलता है और घटना के समय भी ज्यादा जोर से नहीं चल रहा था। मोटर सायकिल में तीन लोग बैठे हुए थे। घटना में ट्रेक्टर वाले की ही गलती थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि मोटर सायकिल में तीन लोग सवार होने से मोटर सायकिल चालक की गलती से दुर्घटना हुई थी।
- 6. घटना के अन्य आहत साक्षी शेवेन्द्र अ0सा0—05 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना आज से दो साल पूर्व सीताडोंगरी चौराहे में घटित हुई थी। वे लोग अपने बड़े भाई के साथ बैहर आ रहे थे और ट्रेक्टर भी बैहर की ओर आ रहा था। ट्रेक्टर वाले ने बिना संकेत दिये मोड़ दिया था। ट्रेक्टर आरोपी चला रहा था। आरोपी द्वारा ट्रेक्टर को मोड़ने पर बिना संकेत दिये उनकी गाड़ी उससे टकरा गई थी, उसके बड़े भैया स्पॉट पर ही खत्म हो

गये थे और उसका हाथ फ्रेक्चर हो गया था। आरोपी यदि सिग्नल देता तो उक्त घटना घटित नहीं होती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन है कि मोटर सायिकल में वह पीछे बैठा था, जिसे उसके बड़े भैया चला रहे थे। उनकी गाड़ी में दोनों तरफ इंडिकेटर है, जो जलते थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि हेंडल उसके भाई के हाथ में था, इसलिये सिग्नल दिया कि नहीं उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह और उसका भाई बहुत तेज आ रहे थे तथा उन लोगों की गित देक्टर से ज्यादा थी और सिग्नल न देने से दुर्घटना हुई। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी देक्टर धीमी गित से चला रहा था।

- साक्षी मीनाबाई अ०सा0–02 का कथन है कि वह आरोपी को 7. जानती है। घटना दो साल पूर्व शिवरात्रि के समय दिन के 11:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह सीताडोंगरी चौराहे पर थी, तभी लामता तरफ से मोटरसाईकिल आ रही थी और ट्रेक्टर भी उसी दिशा से आ रहा था, जो मोटरसाईकिल के उपर आ गया था। मोटरसाईकिल में तीन लोग सवार थे। मोटर सायकिल थोड़ी तेज थी। घटना दिनांक को ट्रेक्टर जल्दी से मुड़ जाने के कारण तेज गति से था और मोटरसाईकिल से टकरा गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। मोटर सायकिल में बैठे तीनों लोग गिर गये। थे। घटनास्थल पर ही मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, जो कासमेरी का था। अन्य दो व्यक्तियों को भी चोटें आयें थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। घटना के समय उसके साथ अन्य लोग भी वहाँ पर थे, जिनमें से सोम व द्रोपत का नाम वह जानती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि मोटर सायकिल ने द्रेक्टर को ठोस मारा था और जिस समय टक्कर हुई, वह बस में बैठी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि गांव में नक्शा नहीं बनाये थे, परन्तु यह अस्वीकार किया कि वह दुर्घटना के समय नहीं थी और आज झूट बोल रही है 🃈
- 8. साक्षी फूलबतीबाई अ०सा०-03 का कथन है कि वह आरोपी को

जानती है। घटना दो साल पूर्व दिन के 10—11 बजे सीताडोंगरी चौराहा की है। चौराहे पर वह लोग प्लेटफार्म पर बैठे थे, तभी परसवाडा तरफ से ट्रेक्टर और मोटरसाईकिल आ रहे थे। दुर्घटना की आवाज होने एवं रोने की आवाज आने पर उसने मौके पर जाकर देखा, परन्तु दुर्घटना होते हुये वह नहीं देख पाई। मोटरसाईकिल में तीन लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति खत्म हो गया था। मेले से लौटने के बाद पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि ट्रेक्टर चालक तेज गति से ट्रेक्टर चलाकर लाया, जिससे मोटर सायकिल को टक्कर लग गई। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.02 का बयान न देना व्यक्त किया और अस्वीकार किया कि आरोपी को बचाने के लिये वह झूठे कथन कर रही हे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना नहीं देखी थी कि किसने किसको ठोस मारा, ट्रेक्टर कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है।

साक्षी मंगलसिंह अ०सा०–०६ का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। वह ट्रेक्टर चलाता है। वह मृतक देवेन्द्र को नहीं जानता है। घटना लगभग तीन-चार साल पहले की है, उस समय वह सीताडोंगरी चौराहा में गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तभी परसवाड़ा तरफ से एक ट्रेक्टर व मोटरसाईकिल आ रहे थे, मोटरसाईकिल में तीन लोग सवार थे, जिसमें दो आदमी व एक महिला थी। ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। मोटरसाईकिल वाले सीधे जा रहे थे और ट्रेक्टर उससे टकरा गया और मोटरसाईकिल सवार गिर गये। किसने किसको टक्कर मारा वह नहीं देख पाया और मोटर सायकिल वालों की चोट भी नहीं देख पाया था। आहतों को जीप में बैठाकर परसवाडा ले गये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी ने तेज गति से ट्रेक्टर चलाकर मोटर सायकिल को ठोस मारा, जिस कारण दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.04 का बयान न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि एक ही पंचायत का होने के कारण वह आरोपी को पहले से जानता है। आरोपी के यहाँ ट्रेक्टर था परन्तु वह ट्रेक्टर नहीं चला रहा था। यदि मोटर सायकिल ट्रेक्टर को बिना टक्कर लगे फिसलकर गिर गई हो तो जानकारी नहीं है।

- 10. साक्षी सम्मलिसंह अ०सा०—०७ का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना तीन साल पूर्व सीताडोंगरी चौराहा की है। मोटरसाईकिल और ट्रेक्टर का एक्सीडेंट हो गया था। उक्त ट्रेक्टर गाड़ी मालिक गिरमा चला रहा था। घटना के समय वह चौराहा के प्लेटफार्म पर था। ट्रेक्टर परसवाड़ा तरफ से आ रहा था, तभी मोटरसाईकिल सवार दो आदमी व महिला बचाओ—बचाओ चिल्लाने लगे थे। घटना होते हुए उसने देखा था। मोटरसाईकिल में तीन लोग सवार थे। मोटरसाईकिल जो व्यक्ति चला रहा था, वह खत्म हो गया था। घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। उसने बयान नहीं दिया था। ट्रेक्टर टेक पर था, इसलिये धीरे चल रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय वह एक फर्लांग की दूरी पर था और एक्सीडेंट होने के बाद आवाज आने पर घटनास्थल पर गया था। उसने दुर्घटना होते हुये नहीं देखी थी। दुर्घटना किसकी गलती से हुई, उसे जानकारी नहीं है।
- 11. साक्षी सोनूसिंह अ०सा०—०४ का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। वह चन्द्रकला और मृतक देवेन्द्र को जानता है। घटना आज से चार साल पूर्व की है। उसने घटना में दुर्घटना मोटर सायकिल और ट्रेक्टर के बीच होना सुना था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसे जानकारी नहीं है कि मोटर सायकिल में कौन बैठा था और किसकी दुर्घटना हुई। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कथन है कि आरोपी तथा वह सीताडोंगरी के रहने वाले है। घटना के समय वह गिट्टी भरने का काम कर रहा था। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का बयान न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने यह सुना था कि आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर से दुर्घटना में देवेन्द्र की मृत्यु हो गई थी।
- 12. साक्षी रामकलीबाई अ०सा०—०९ का कथन है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दो साल पूर्व सीताडोंगरी में दिन के 10—11 बजे की है। दुर्घटना हुई थी, तब ट्रेक्टर में तीन—चार लोग थे और वह सोई हुई थी, ट्रेक्टर कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम तथा किसका एक्सीडेंट हुआ था उसे

जानकारी नहीं है। साक्षी ने पुलिस को कथन देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सह घटना के समय द्रेक्टर में पीछे बैठी थी और सो गई थी। उसे बाद में पता चला था कि द्रेक्टर से एक्सीडेंट हो गया था। उसे जानकारी नहीं है कि दुर्घटना के समय द्रेक्टर कौन चला रहा था और किसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई थी। मोटर सायकिल एवं द्रेक्टर में कौन बैठा था उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिसवाले उससे पूछताछ करने घर गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बयान में क्या लिखा था, उसे पढ़कर नहीं बताया था।

- 13. साक्षी राजकुमार अ.सा.10, नन्हु अ.सा.11 तथा वीरेन्द्र कुसरे अ.सा.14 पूर्णतः पक्षद्रोही रहे है, जिन्होंने घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर पुलिस को क्रमशः प्र.पी.06, 07 एवं 15 का कथन न देना व्यक्त किया।
- 14. डॉ० ए.के. गौर अ०सा०—12 का कथन है कि वह दिनांक ०६.०३. ०८ को सी.एच.सी. परसवाडा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को ०३:1३ बजे आहत चंद्रकला को सैनिक कमाक—174 थाना परसवाडा द्वारा लाने पर उसने परीक्षण किया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.०८ है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही थाना परसवाडा के आरक्षक नरेन्द ठाकुर नम्बर ६३८ द्वारा आहत शिवेन्द्र पिता होमलाल को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। आहत की दाहिने भुजा में सूजन, खरोंच थी तथा एक खरोंच दाहिने घुटने के नीचे थी। आहत को आई चोट कमांक ०२ एवं ०३ किसी खुरदुरी व कठोर वस्तु से आ सकती थी तथा उसके परीक्षण के ०६ घण्टे के अंदर की थी। आहत को एक्स—रे हेतु चिकित्सालय बालाघाट भेजा गया था। आहत की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.०९ है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 15. डॉ० ए.के. गौर अ०सा०—12 के अनुसार दिनांक 06.03.08 को दोपहर 03:30 बजे थाना परसवाडा के आरक्षक नरेन्द्र क्रमांक 638 द्वारा मृतक देवेन्द्र पिता होमलाल चौधरी के शव को परीक्षण हेतु लाया गया था। शव

परीक्षण के दौरान सिर एवं कान सामान्य था, आखें बंद थीं, मुँह एवं नाक से खून के साथ झाग निकल रहा था। एक खरोंच गर्दन के नीचे 04 गुणा 03 इंच थी, एक खरोंच ठुड्डी के नीचे 03 गुणा 1/2 इंच थी, एक खरोंच दाहिने सीने पर 11 गुणा 05 इंच थी एवं बहुत सारी चोटें पेट व सीने पर विभिन्न प्रकार की थी। मृतक का आंतरिक परीक्षण करने पर खोपडी, कपाल व मेरूदण्ड खोला नहीं गया था, पर्दा, पसली, कोमलस्य व फुफ्फुस कंजस्टेड थे, कंठ व स्वास नली कंजस्टेड थे और खून से भरे हुए थे। दाहिना एंव बांया फेफडा फटा हुआ एवं फूला हुआ था, पेरीऑन व परपसियम व ग्रसनी कंजस्टेड थे, छोटी व बडी आंत में पिकल मटेरियल था, यकृत फटा हुआ था, गुर्दा एवं प्लीहा पीले पड़ गये थे, भीतरी व बाहरी जनेन्द्रियाँ सामान्य थी। मृतक के बांये ओर की 03, 04 एवं 05 नम्बर की पसली एवं दांये ओर की 02 से 06 तक की पसली टूट गयी थी और बायें साईड की क्लेविकल हड्डी टूट गयी थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव होना था। मृत्यु उसके परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अस्वीकार किया कि शरीर के किसी भाग में खुजाने से इस प्रकार की खरोंच नहीं आ सकती है। साक्षी का कथन है कि खुरदुरी वस्तु से उक्त खरोंच आ सकती है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि चालीस-पचास फीट की उंचाई से यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो इस प्रकार की चोट आ सकती है तथा कोई व्यक्ति के स्पीड से पत्थर पर टकराने से इस प्रकार की चोट आ सकती है। साक्षी के कथन रसे घटना के समय आहत देवेन्द्र की मृत्यु होना दर्शित है, परन्तु आहत चन्द्रकला को उपहति होने की पुष्टि नहीं होती।

16. डॉ० डी०के० राउत अ०सा०—०८ का कथन है कि वह दिनांक ०७.03.2008 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनके द्वारा एक्स—रे टेक्नीशियन ए०के० सेन द्वारा डॉ० अवधेश गौर के रिफर किये गये आहत शेवेन्द्र पिता होमलाल के दिनांक ०६.03.2008 को लिये गये एक्स—रे क्रमांक ८७१ का परीक्षण करने पर आहत के दाहिने हाथ की ह्यूमरस हड्डी के गर्दन वाले भाग में फ्रेक्चर होना पाया था।

उक्त रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी के कथन से घटना के समय आहत शिवेन्द्र को गंभीर उपहित की पुष्टि होती है।

- 17. साक्षी राजकुमार अ.सा.15 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है तथा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सूरज से वाहन कमांक एम.पी.28/ई. 0301 का रजिस्ट्रेशन कार्ड तथा बीमा पॉलिसी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- साक्षी राजेन्द्र सिलेवार अ०सा०—13 का कथन है कि वह 19. दिनांक 09.03.2008 को थाना बैहर में गस्ती प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मर्ग क्रमांक 06 / 08 धारा–174 भा.दं.सं. की जॉच पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 26 / 08 तैयार किया था। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट 26 / 8 प्रेमलाल की सूचना पर ट्रेक्टर कमांक एम.पी.28 / ई-0301 के चालक के विरूद्ध धारा–279, 337, 304ए भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्र.पी. 11 है,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.03.2008 को घटनास्थल पर जाकर साक्षी मीनाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी–नक्शा तैयार किया था. जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को साक्षी फूलबतीबाई, सोनू, मंगलिसंह, मीनाबाई, कालू उर्फ राजकुमार, नन्नु उर्फ रामकुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 11.03.08 को सूरजिसंह से एक द्वेक्टर कं एम.पी. 28 / ई-0301 मय द्राली के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.12 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर सूरज के हस्ताक्षर है। दिनांक 18.03.08 को सूरजिसंह से एक देक्टर के रिजस्ट्रेशन, इंश्योरेंस गवाह महीपाल एवं राजकुमार के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गवाह राजकुमार एवं गुलचरण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.14 तैयार किया था,

जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा वाहन के लाईसेंस बीमा पेश नहीं करने पर धारा 3/181 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा किया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- साक्षी राजेन्द्र सिलेवार अ०सा०-13 ने अपने प्रतिपरीक्षण में 20. स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने दर्ज किया था, प्रथम सूचना 279, 337 एवं 304 के तहत पंजीबद्ध किया था तथा प्रकरण की विवेचना उसके द्वारा की गई थी। साक्षी ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसके द्वारा विवेचना नहीं करना चाहिए। उसने मर्ग डायरी के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज किया था। साक्षी का कथन है कि उसने पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर 304ए भा.दं.सं. की धारा पंजीबद्ध किया था तथा मौका-नक्शा मीनाबाई के बताये अनुसार बनाया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि मीनाबाई ने यदि घटनास्थल के संबंध में उसे गलत जानकारी दी हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेख किया था तथा द्रेक्टर एवं दस्तावेजों की जप्ती की कार्यवाही थाने में बैठकर बनाया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को यह अस्वीकार किया कि उसने आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया था, उसने संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही थाने में तैयार किया था तथा डॉक्टर के मृत घोषित करने के पूर्व ही उसने धारा 304ए भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर लिया था।
- 21. उपरोक्त साक्ष्य से घटना के समय द्रेक्टर से आहतगण की मोटर सायिकल टकराने से आहतगण को क्षिति तथा मृत्यु सिद्ध होती है, परन्तु दुर्घटना में अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। घटना के दोनों आहत तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों चंद्रकला पटले अ.सा.01 तथा शेवेन्द्र अ.सा.05 ने घटना के समय ट्रेक्टर के धीमी गित से चलने के कथन किये हैं। चंद्रकला पटले अ.सा.01 ने घटना के समय घटना द्रेक्टर वाले की गलती से होने के कथन किये है, परन्तु उक्त साक्षी ने ट्रेक्टर चालक

की क्या गलती थी, यह व्यक्त नहीं किया है। अन्य साक्षी शेवेन्द्र अ.सा.05 ने घटना के समय आरोपी द्वारा बिना संकेत दिये ट्रेक्टर मोड़ने के कारण दुर्घटना होने के कथन किये है। मीनाबाई अ.सा.02 के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की लापरवाही अथवा उपेक्षा के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त साक्षी के कथन इसलिये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, क्योंकि स्वयं घटना के आहतों द्वारा ट्रेक्टर के धीमी गित से चलने के कथन किये गये हैं। मौका—नक्शा प्र.पी.01 से घटनास्थल मोड़ दर्शित है तथा आहतगण तथा ट्रेक्टर का बैहर की ओर जाना भी दर्शित है, जिससे सड़क की बांई ओर चल रहे वाहन के बांई ओर मुड़ने के दौरान दुर्घटना होना प्रकट होता है।

- 22. ट्रेक्टर का तेज गित में न होना और आहतगण का एक मोटर सायिकल पर तीन व्यक्ति सवार होना दिर्शित है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे वाहन के संकेतक सही अवस्था में होने अथवा न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। ऐसी स्थिति में अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की उपेक्षा के संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। आरोपी के क्षति एवं मृत्यु का कारण होने के संबंध में साक्ष्य आवश्यक है तथा मृत्यु एवं अभियुक्त के उपेक्षापूर्ण अथवा उतावलेपन कृत्य में सीधा संबंध भी आवश्यक है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए घटना महज दुर्घटना अथवा स्वयं आहतगण की गलती का परिणाम हो सकती है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत तुकाराम सीताराम (1970) 72 बाम्बे एल.आर.492 अवलोकनीय है। मोटरयान अधिनियम के आरोपों के संबंध में प्रकरण अपुष्ट साक्ष्य है, जिससे तत्संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई उपधारणा करना उचित प्रतीत नहीं होता।
- 23. फलतः अभियोजन यह संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर आहत चंद्रकला को उपहित तथा आहत शेवेन्द्र को गंभीर उपहित एवं देवेन्द्र की मृत्यु कारित की तथा वाहन को बगैर दस्तावेजों के चलाया। अतः अभियुक्त गुड्डु उर्फ करिया को भारतीय दण्ड

फा.नं.234503000032008

संहिता की धारा—279, 337, 338 एवं 304ए एवं मो0व्ही0 एक्ट की धारा—3 / 181 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 24. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 25. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन द्रेक्टर क्रमांक एम.पी.28ई. /0301 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 26. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / — (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

